कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 14( )2014/झालावाड़ रोड़स/एफसीए/प्रमुवसं/ 8220 दिनांक 04-12-2023

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषयः– Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagaun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan.
(Proposal no. FP/RJ/ROAD/7759/2014)

संदर्भः–राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प. 1 (46) वन/2015 दि. 03.03.2015

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, कोटा के पत्रांक 5418 दिनांक 03.11.2023 से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित हैः–

क्र.सं.	बिन्दुवार शर्तो का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3.	प्रस्तावनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेडों की संख्या से अधिक पेड़ो का पातन नही किया जावेगा।	प्रस्तावित पेडों की संख्या से अधिक पेडों का पातन नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नही पंहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पंहुचई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेडों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के निही काटा जावें। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगें।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र मे रोपित पेडों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास मे वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास मे वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको सरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।

....P.T.O.

<table>
<tr><td>7.</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शुन्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षो तक रखरखाव किया जावेंगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।</td><td>100 वृक्षों के वृक्षारोपण की वर्तमान श्रमिक दरों पर राशि 212277/– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड के स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जावेगी।</td><td>प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड के स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) 1485942/– जमा करा दी गयी है।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5–3/2007– एफ.सी. दिनांक 05.02. 2009 के तहत में दिये गये आदेशाानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) की राशि जमा की जावेंगी।</td><td>शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) की राशि वर्तमान दरों पर आवश्यक धन राशि 66356/– जमा करा दी गई है।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य तथा दुसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा सं. CAF Rajasthan SB01025225 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) ब्लाक–11 भूतल सी जी ओ कॉम्पलेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली–11003 में जमा कराया जायेगा।</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्नांकित राशि जमा करायी गयी है।
<table>
<tr><th>Head</th><th>Total demand</th><th>deosited amount</th><th>Balance</th><th>Remark</th></tr>
<tr><td>planting of 100 plants</td><td>1195213</td><td>982936</td><td>212277</td><td>26.4.17 1.11.18 & 27.6.19</td></tr>
<tr><td>Planting of vacated land</td><td>8366501</td><td>6880559</td><td>148542</td><td>26.4.17 1.11.18 & 27.6.19</td></tr>
<tr><td>NPV</td><td>191556</td><td>125200</td><td>66356</td><td>26.4.17</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>9753271</td><td>7988695</td><td>1764576</td><td></td></tr>
</table>
राशि 1764576/–का समायोजन एप्रोच रोड सावल्दा के प्रकरण निरस्त हो जाने के कारण उसमें जमा राशि में से किया गया है प्रति संलग्न है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>11.</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण इस आ य का वचनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एनमीवी की दरों में बढोतरी होती हॉ जी है जो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।</td><td>वचन बद्वता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करवाकर नोडल अधिकारी एफसीए के कार्यालय को प्रेशित की जावेगी। एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।</td><td>सड़क निर्माण में निकलने वाले मक का उपयोग सडक निर्माण की फिलिंग मे किया जाएगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नही किया जायेगा तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में सडक निर्माण मे बाहर से मिट्टी लाकर फिलिंग की जावेगी। जिससे मक निस्तारण की मात्रा शून्य होगी। इस संबंध मे प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>प्रयोक्ता अभिक्रण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5–3/2007– एफ.सी. दिनांक 05.02. 2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) तथा दूसरी सभी निधियां निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धक कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल सी जी ओ कॉम्पलेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली–11003 में जमा करने के उपरान्त ही जमा राशि की पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमे जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एनपीवी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया है।)</td><td><table>
<tr><th>Head</th><th>Total demand</th><th>deosited amount</th><th>Balance</th><th>Remar k</th></tr>
<tr><td>planting of 100 plants</td><td>1195213</td><td>982936</td><td>212277</td><td>26.4.17 1.11.18 & 27.6.19</td></tr>
<tr><td>Planting of vacated land</td><td>8366501</td><td>6880559</td><td>148542</td><td>26.4.17 1.11.18 & 27.6.19</td></tr>
<tr><td>NPV</td><td>191556</td><td>125200</td><td>66356</td><td>26.4.17</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>9753271</td><td>7988695</td><td>1764576</td><td></td></tr>
</table>
राशि 1764576/–का समायोजन एप्रोच रोड सावल्दा के प्रकरण निरस्त हो जाने के कारण उसमें जमा राशि में से किया गया है प्रति संलग्न है। जमा राशि का विवरण संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारिख को संबंधित क्षैत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।</td><td>अनुपालना की जावेगी।</td></tr>
</table>

15	राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किये जाने की अनुपालना की जावेगी।
16	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें।तथा प्रकरण मे जारी स्वीकृति को युजर एंजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	उक्त प्रकरण मे जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी जो कि दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रो मे प्रकाशित करवा दी गई है ।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14( )2014/झालावाड़ रोड़स/एफसीए/प्रमुवसं/ दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवयश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, झालावाड।
3. अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड अकलेरा, झालावाड।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांक एफ 14( )2014/झालावाड़ रोड/एफसीए/प्रमुवसं/ 7195 दिनांक 18.08.2023

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 07.08.2023 को 11:00 AM सुश्री शिखा मेहरा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण (FP/RJ/Road/7609/2014) एप्रोच रोड़ सांवल्दा की सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त होने की दशा में उसमें जमा राशि को अन्य प्रस्तावों में समायोजित करने के संबंध में समीक्षात्मक बैठक उनके कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें निम्नांकित अधिकारियों ने हिस्सा लियाः–

1. श्री महेश गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. श्री चेतन कुमार, उप वन संरक्षक, झालावाड़।
3. श्री दिनेश कुमार गुप्ता, उप वन संरक्षक, एफसीए।
4. श्री मनमोहन सिंघल, अधीक्षण अभियंता, पर्यावरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. श्री खेमराज, अधिशाषी अभियंता, अकलेरा, झालावाड़।

उप वन संरक्षक, एफ.सी.ए. द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशाषी अभियंता, अकलेरा, झालावाड़ द्वारा प्रेषित वन भूमि प्रत्यावर्तन का एक प्रस्ताव एप्रोच रोड़ सांवल्दा (FP/RJ/Road/7609/2014) जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.03.2015 को जारी की गई। आवेदक अधिशाषी अभियंता, अकलेरा, झालावाड के निवेदन पर प्रस्तावित सड़क आवश्यक नही होने की दशा में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.4.2023 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त कर दी गयी है। उक्त प्रकरण में यूजर ऐजेन्सी द्वारा जमा की गयी राशि 12310000+ 387639 = 12697639 जमा की गयी है जिसका समायोजन किया जाना प्रस्तावित है।

अधिशारी अभियंता अकलेरा द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी आई.डी. से कुल 7 प्रस्ताव प्रेषित किये गये है। जो निम्नानुसार हैः–

S. N.	Proposal No	Proposal name	category	area applied (ha)	submitted date	Status
1	FP/RJ/Road/7478/2014	A/R to Kishorpura Bardiya	Road	0.56	16.10.2014	Pending with UA
2	FP/RJ/Road/7595/2014	A/R to Rojya	Road	0.95	16.10.2014	In principle
3	FP/RJ/Road/7609/2014	A/R to Sanwalda	Road	0.996	29.10.2014	cancelled
4	FP/RJ/Road/7757/2014	A/R Barodiya to Jatamari	Road	0.994	29.10.2014	In principle
5	FP/RJ/Road/7759/2014	A/R to Nayagaon Bhanpura	Road	0.2	29.10.2014	In principle
6	FP/RJ/Road/13599/2015	Mohanpura to Ganeshpura lodhan	Road	0.984	30.06.2015	Approved
7	FP/RJ/Road/11683/2015	Road from Beenaganj to Balbantpura	Road	0.936	15.04.2015	In principle

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
राजस्थान, जयपुर

Scanned with CamScanner

आवेदक द्वारा निम्नानुसार प्रकरणों में उप वन संरक्षक, झालावाड द्वारा जारी मांग पत्रों के अनुसार अपने अन्य विचाराधीन प्रस्तावों में निम्नानुसार राशि समायोजित करने के लिए लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो निम्नानुसार है:—

S. N.	Proposal No	Proposal name	Demand note raised by DCF Jhalawar	Amount to be adjusted
1	FP/RJ/Road/7595/2014	A/R to Rojya	2225688.00	2225688.00
2	FP/RJ/Road/7757/2014	A/R Barodiya to Jatamari	3174304.00	3174304.00
3	FP/RJ/Road/7759/2014	A/R to Nayagaon Bhanpura	1764576.00	1764576.00
4	FP/RJ/Road/11683/2015	Road from Beenaganj to Balbantpura	1709586.00	929810.00
		Total	8874154.00	8094378.00

क0सं0 4 पर अंकित प्रकरण Road from Beenaganj to Balbantpura में राशि 779776 लाख पृथक से जमा करायी जावेगी। इस प्रकार कुल 12697639.00 में से 8094378.00 का समायोजन किया जावेगा। अवशेष राशि 4603261 का समायोजन झालावाड जिले के अन्य प्रस्तावों में निम्नानुसार करने हेतु आग्रह किया एवं कोई अनापत्ति नही होने की वचनवद्वता भी प्रस्तुत की गयी।

S. N.	Proposal No	Proposal name	Demand note raised by DCF Jhalawar	Amount to be adjusted
1	FP/RJ/Road/30449/2019	Taraj to tara Devi	1810849.00	1810000.00
2	FP/RJ/Road/7558/2014	A/R Bankheri	2792412.00	2792000.00
		Total	4603261.00	4602000.00

उक्त प्रकरणों में क0सं 1 पर राशि 849.00 एवं क0सं0 2 पर राशि 412.00 पृथक से जमा करायी जावेगी। उप वन संरक्षक, झालावाड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मांग पत्र वर्तमान श्रमिक दरों के आधार पर एवं एन.पी.वी. की दरों में हुये परिवर्तन के मद्देनजर जारी किये गये है।

सभी सदस्यों द्वारा सर्वसहमति से उपरोक्तानुसार राशि समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक एफ 14( )2014 / झालावाड़ रोड़ / एफसीए / प्रमुवसं / 7196-7201 दिनांक 18-08-202
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, झालावाड़।
3. अधीक्षण अभियंता, पर्यावरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियंता, खण्ड अकलेरा / चौमहला / खानपुर झालावाड़।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Scanned with CamScanner

File No.1-29/2015-CAMPA
Government of India
Ministry of Environment Forests & Climate Change
National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
Email: adhoc-campa-mef@nic.in
******

Block No.3, 4th Floor
Hall No.1, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi-110003
Dated: 01st June, 2023

To,

The Assistant General Manager
Union Bank of India
FCS Bangalore Branch
Bangalore-560027

Sub: - वन संरक्षण अधिनियम के प्रत्यावर्तन प्रकरणों मे की गयी भुगतन राशि को पुनर्स्थापित कराने बाबत

(i) Diversion of 0.994 ha of Forest land for construction of road from Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan, District Jhalawar. (Proposal No.RJ/Road/7757/2014)

(ii) Diversion of 0.950 ha of forest land for construction of Road from NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/Road/7795/2014)

(iii) Diversion of 0.200 ha of Forest land in construction of road from NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No.FP/RJ/Road/7759/2014)

Sir,

Please refer to the letter No.4968 of APCCF & Nodal Officer (FCA) on the subject mentioned above and it is to inform that user agency has erroneously deposited the remittances of Rs.10,96,947.00, 6,28,493.00 and 4,99,056.00 through challan No.150856113599281 on 27.09.2019. The Union Bank of India, CGO Complex, New Delhi- 110003 has confirmed the remittance in the "CAF- Rajasthan" account. Therefore, it is requested that the kindly updated the remittances on correct proposal/remitter No. as per the details mentioned in the table: -

S.No.	Proposal No./Diversion Area	Amount With date	UTR No.	Challan No. from which the amount has wrongly paid	Remitter No. (on which the amount has to be shown)
1.	Proposal No. RJ/Road/7757/2014 & 0.994 ha.	10,96,947.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897743	150856113599281	6177570372
2.	FP/RJ/Road/7795/2014 & 0.950 ha.	6,28,493.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897732		6175950315
3.	FP/RJ/Road/7759/2014 & 0.200 ha.	4,99,056.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897730		6177590992

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
राजस्थान, जयपुर

Encl: as above

Yours faithfully,

(Sanjay Kumar Chauhan)
Assistant Inspector General of Forests
National Authority

Copy to: -

1. The Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), O/o Principal Chief Conservator of Forests, Government of Rajasthan, Aranya Bhawan, Jhalana industrial Area, Jaipur-302004

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submittted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer. Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.

Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made. Paid : This icon shows that the payment has been made.

(•) **Proposals received on or after 15th July 2014** ( ) **All Proposals received upto 14th July 2014**

Select Region :	Jaipur	**Select State :**	Rajasthan
Select User Agency :	Select		
Payment Status :	(•) **Paid** ( ) **Unpaid** ( ) **All**		
Bank Name :	--Select All--	**Mode of Payment :**	--Select All--
Transaction Date (From) :		**Transaction Date (To) :**	
Enter value for Search :	7759		

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/ROAD/7759/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/7759/2014) A/R to Nayagoav Bhanpura	ROAD77592014550	03 Mar 2015	**CA:** 387639/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 0/- , **Total :** 387639/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 12 Sep 2018 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :25 Oct 2018 **Transaction Date** : 01 Nov 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/9111212612182ZEX2NayagaontoBhanpurascan0001.p Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD77592014550)
2	FP/RJ/ROAD/7759/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/7759/2014) A/R to Nayagoav Bhanpura	ROAD77592014589	03 Mar 2015	**CA:** 0/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 125000/- , **plantation and ten year maintanance for 100 trees :** 872000/- **plantation and ten year maintanance for 700 trees :** 6105000/- **Total :** 7102000/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :27 Mar 2017 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** :Corporation Bank (Challan) **Challan Generated On** :27 Mar 2017 **Transaction Date** :26 Apr 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3112512411219U9PIOnh12tonayagaonbhanpura.pdf) Generated Challan (../UserAccount/GenerateChallan.aspx?pid=ROAD7759201458

Verf.

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
राजस्थान, जयपुर

7102000
387639
7489000
499056
7986695

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेल:–ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:– 0744–2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2023/ 5418 दिनांक : 03.11.2023

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान जयपुर।

विशय: Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagaun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan (Online Proposal No.: FP/RJ/ROAD/7759/2014)

प्रसंग: उप वन संरक्षक झालावाड़ का पत्रांक एफ( )एफसीए/उवसं/2023/ 1438 दिनांक 30.10.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आलौच्य प्रकरण में राज्य सरकार के पत्रांक प.1(46) वन/2015 जयपुर दिनांक 03.03.2015 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट तैयार कर उप वन संरक्षक झालावाड़ ने प्रासंगिक पत्र से इस कार्यालय में प्रस्तुत की है, जो निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	बिन्दुवार भार्तो का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	हां, कोई परिवर्तन नही किया जावेगा। प्रयोक्ता ऐजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।	हां प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3.	प्रस्तावनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेडों की संख्या से अधिक पेड़ो का पातन नही किया जावेगा।	प्रस्तावित पेडों की संख्या से अधिक पेडों का पातन नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नही पंहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	हां, परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पंहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेडों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावें। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगें।	हां, प्रत्यावर्तित क्षेत्र मे रोपित पेडों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास मे वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।	हां, प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास मे वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षो तक रखरखाव किया जावेंगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	पातन किये जाने वाले पेडों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड के स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) जमा की जावेगी।	हां, आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।

Signature valid

RajKaj Ref
4974890

Digitally signed by Mahesh Chand Gupta
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.11.03 13:42:31 IST
Reason: Approved

9.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5–3/2007– एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) की राशि जमा की जावेगी।	हां, आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।
10.	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य तथा दुसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा सं. CAF Rajasthan SB01025225 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) ब्लाक–11 भूतल सी जी ओ कॉम्पलेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली–11003 में जमा कराया जायेगा।	हां, आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	हां, वचन बद्वता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करवाकर नोडल अधिकारी एफसीए के कार्यालय को प्रेषित की जावेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	सड़क निर्माण में निकलने वाले मक का उपयोग सड़क निर्माण की फिलिंग मे किया जाएगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नही किया जायेगा तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में सडक निर्माण के बाहर से मिट्टी लाकर फिलिंग की जावेगी। जिससे मक निस्तारण की मात्रा शून्य होगी। इस संबंध मे प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5–3/2007– एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार भुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) तथा दूसरी सभी निधियां निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धक कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपकम) ब्लाक–11 भूतल सी जी ओ कॉम्पलेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली–11003 में जमा करने के उपरान्त ही जमा राशि की पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमे जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एनपीवी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया है।)	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राज. जयपुर की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक में दिनांक 07.08.2023 को उक्त कार्य हेतु राशि 1764576/– रू सम्पर्क सड़क सावल्दा की जमा राशि रू 12697639/– से निम्नानुसार कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड पत्र क्रमांक एफ( )एफसीए/उवसं/2023/9266 दिनांक 07.08.2023 के डिमाण्ड नोट के अनुसार समायोजन की अनुशंसा की है।

सैद्वान्तिक स्वीकृति शर्त संख्या	मद	रोपित पौधों की संख्या / क्षेत्रफल	मांग राशि श्रमिक दर 213/–	मांग राशि श्रमिक दर 259/–	पूर्व में जमा राशि	देय राशि
1	100 वृक्षों का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	100 वृक्ष	982936	1195213	982936	212277
2	प्रस्तावित मार्ग के दोनो और रिक्त पेड़ स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव	700 वृक्ष	6880559	8366501	6880559	1485942
3	एन.पी.वी. राशि	0.2 है0 957780/–	125200	191556	125200	66356
योग			7988695	9753271	7988695	1764576

Signature valid

RajKaj Ref
4974890

Digitally signed by Mahesh Chand Gupta
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.11.03 [illegible]:42:31 IST
Reason: Approved

14.	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारिख को संबंधित क्षैत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
15	राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
16	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर ऐजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियो की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जी उक्त प्रकरण मे जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रो मे प्रकाशित करवा दी गई है ।

भवदीय

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(महेश चन्द गुप्ता)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2023/ 5419 दिनांक : 03.11.2023

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक झालावाड़ को पत्र 10519 दिनांक 27.09.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेशित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

RajKaj Ref
4974890

Signature valid
Digitally signed by Mahesh Chand Gupta
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.11.03 1?:42:31 IST
Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax No. 07432-232230 E-mail-dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ( )एफसीए/उवसं/2023/ 11138 दिनांकः 30/10/2023

निमित्त :–

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय :– Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagaun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan.
Proposal no. FP/RJ/ROAD/7759/2014

प्रसंग :– उप वन संरक्षक, (एफसीए) अरण्य भवन, जयपुर के पत्रांक 717–18 दिनांक 21.02.2022 के कम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण की सैधांतिक स्वीकृति पत्रांक प. 1 (46) वन/2015 दिनांक 03.03.2015 प्रदान की गई थी। प्रासंगिक पत्र की पालना में प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दूवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है–

क्र. सं.	बिन्दुवार शर्तो का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	हां, जी कोई परिवर्तन नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।	हां जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3.	प्रस्तावनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेडों की संख्या से अधिक पेड़ो का पातन नही किया जावेगा।	प्रस्तावित पेडों की संख्या से अधिक पेडों का पातन नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नही पंहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	हां, जी परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पंहुचई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपास किये जावेगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेडों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के निही काटा जावें। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगें।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र मे रोपित पेडों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास मे वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास मे वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको सरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षो तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	पातन किये जाने वाले पेडों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है।

<table>
<tr><td>8.</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड के स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जावेगी।</td><td>हां, जी आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5–3/2007– एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) की राशि जमा की जावेंगी।</td><td>हां, जी आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य तथा दुसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा सं. CAF Rajasthan SB01025225 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) ब्लाक–11 भूतल सी जी ओ कॉम्पलेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली–11003 में जमा कराया जायेगा।</td><td>हां, जी आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एनमीवी की दरों में बढोतरी होती हों जी है जो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।</td><td>हां, जी वचन बद्वता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करवाकर नोडल अधिकारी एफसीए के कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।</td><td>सड़क निर्माण में निकलने वाले मक का उपयोग सडक निर्माण की फिलिंग मे किया जाएगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नही किया जायेगा तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में सडक निर्माण मे बाहर से मिट्टी लाकर फिलिंग की जावेगी। जिससे मक निस्तारण की मात्रा शून्य होगी। इस संबंध मे प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5–3/2007– एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) तथा दूसरी सभी निधियां निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धक कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपकम) ब्लाक–11 भूतल सी जी ओ कॉम्पलेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली–11003 में जमा करने के उपरान्त ही जमा राशि की पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आंख्या(जिसमे जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एनपीवी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया है।)</td><td>अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं लोडल अधिकारी एफसीए, राज. जयपुर की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक में दिनांक 07.08.2023 को उक्त कार्य हेतु राशि 1764576/–रू सम्पर्क सड़क सावल्दा की जमा राशि रू 12697639/– से निम्नानुसार कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड पत्र क्रमांक एफ( )एफसीए/उवसं/2023/9266 दिनांक 07.08.2023 के डिमाण्ड नोट के अनुसार समायोजन की अनुशंषा की है।
<table>
<tr><th>सैद्वान्तिक स्वीकृति शर्त संख्या</th><th>मद</th><th>रोपित पौधों की संख्या/ क्षेत्रफल</th><th>मांग राशि श्रमिक दर 213/–</th><th>मांग राशि श्रमिक दर 259/–</th><th>पूर्व में जमा राशि</th><th>शुद्व देय राशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>100 वृक्षों का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव</td><td>100 वृक्ष</td><td>982936</td><td>1195213</td><td>982936</td><td>212277</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रस्तावित मार्ग के दोनो और रिक्त पेड स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव</td><td>700 वृक्ष</td><td>6880559</td><td>8366501</td><td>6880559</td><td>1485942</td></tr>
<tr><td>3</td><td>एन.पी.वी. राशि</td><td>0.2 हैक्ट. 957780/–</td><td>125200</td><td>191556</td><td>125200</td><td>66356</td></tr>
<tr><td colspan="3">योग</td><td>7988695</td><td>9753271</td><td>7988695</td><td>1764576</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारिख</td><td>उच्च कार्यालय से संबंधित है।</td></tr>
</table>

	को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	
15	राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
16	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें।तथा प्रकरण मे जारी स्वीकृति को युजर एंजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जी हां, उक्त प्रकरण मे जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी जो कि दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रो मे प्रकाशित करवा दी गई है ।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दूवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(वी. चेतन कुमार)
उप वन संरक्षक
झालावाड़
दिनांकः

क्रमांक एफ ( )एफसीए/उवसं/2023/
प्रतिलिपि :– अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड अकलेरा को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा ।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा ज़िला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेडो की संख्या से अधिक पेडो का पातन नहीं किया जावेगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी0 डी0 ओ0 15294

(टी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :–**Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—**Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan**
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड़ वन विभाग की ही सम्पदा होंगे, निर्माण विभाग का कोई हस्तक्षेप नही होगा।

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस–पास में वनस्पति / वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एंव इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर की होगी।

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :–Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा भून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि 8,72,000/– रूपये जमा करवा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

Offic Letter New_7

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो और रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को सम्माहित करते हुए यथा संशोधित) राशि 61,05,000/—रूपये जमा करा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी0 डी0 ओ0 15294

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारामाननीय उचचतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 1,25,000/– रूपये जमा करा दी गई है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

(टी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा संख्या **CAF Rajsthan SB01025225** कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक—11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्पलैक्स फेज—1 लोधी रोड नई दिल्ली—11003 मे 79,88,695/—रूपये जमा करा दिये गये है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड अकलेरा
डी0 डी0 ओ0 15294

(टी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जावेगी।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

(टी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :–**Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan**
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नही होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नही होगी।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी0 डी0 आं0 15294

(टी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम)ब्लॉक–11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्पलैक्स फेज–1 लोधी रोड नई दिल्ली–11003 मे जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफट/ चैक की छायाप्रति सहित सैंद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी0 डी0 ओ0 15294

(टी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :–Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को सबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी0 डी0 ओ0 15294

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :–Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
आ० डी० ओ० 15294

(टी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :–Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावेगी तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एंव अग्रेंजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में दिनांक 25.12.2018 को अक्षरशः प्रकाशित करवायी गयी हैं एंव जारी स्वीकृतियों की प्रतिया लोकल बॉडीज पंचायत एंव नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना करवा दिया गया हैं।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

(टी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

क्रमांकः–101

दिनांक :– 25/5/19

श्रीमान् उपवन सरंरक्षक
झालावाड़ जिला झालवाड़ राज0

विषयः– सम्पर्क सडक एन–52 किमी 356/500 से नयागांव भानपुरा अन्डर RRSMP (Phase-II) in Distt. झालावाड ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त सडक का संशोधित डिमाण्ड की राशि 499056.00 रू केम्पा फण्ड में E-चालान द्वारा दिनांक 24.05.2019 को जमा करवा दिया गया है चालान की प्रति एंव टेजरी के बिल की प्रति सलंग्न कर भिजवायी जा रही है।

भवदीय

(एन.सी.बागडी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

Jeet Nama/Gen Letter 2017-18

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax No. 07432-232230 E-mail-dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ( )एफसीए / उवसं / 2019–20 /
निमित्त :–
दिनांक:

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय :– Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagaun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan.

प्रसंग :– प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7759/2014 की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक प. 1 (46) वन / 2015 दिनांक 03.03.2015 के कम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के कम मे विषयाकिंत प्रस्ताव मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 मे Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagaun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan. मे 0.2 हैक्टेयर हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दूवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है–

क्र. सं.	बिन्दुवार शर्तो का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	हां, जी कोई परिवर्तन नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।	हां जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3.	प्रस्तावनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेडों की संख्या से अधिक पेडों का पातन नही किया जावेगा।	प्रस्तावित पेडों की संख्या से अधिक पेडों का पातन नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नही पंहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षक हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	हां, जी परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पंहुचई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपास किये जावेगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेडों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के निही काटा जावें।उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगें।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र मे रोपित पेडों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।

1293FCA letter

6.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी। एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन संरक्षक की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको सरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षो तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड के स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जावेगी।	हां, जी आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) की राशि जमा की जावेंगी।	हां, जी राशि रू 7988695 जमा करवा दी गयी है। जिसमें राशि रू 125200 एनपीवी के सम्मिलित है।
10.	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य तथा दुसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा सं. CAF Rajasthan SB01025225 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्पलेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।	हां, जी राशि रू 7988695 जमा करवा दी गयी है। जिसमें सीए की राशि रू 982936 सम्मिलित है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढोतरी होती हॉ जी है जो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	हां, जी वचन बद्वता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करवाकर नोडल अधिकारी एफसीए के कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	सड़क निर्माण में निकलने वाले मक का उपयोग सडक निर्माण की फिलिंग मे किया जाएगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नही किया जायेगा तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में सडक निर्माण मे बाहर से मिट्टी लाकर फिलिंग की जावेगी। जिससे मक निस्तारण की मात्रा शून्य होगी। इस संबंध मे प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) तथा दूसरी सभी निधियां निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धक कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्पलेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा करने के उपरान्त ही जमा राशि की पावती की छायप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक	अभिकरण द्वारा कुल धन राशि रू 7988695 जरिये चालान से जमा करा दी गयी है। जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षो का रोपण एवं रखरखाव :- 982936 /- रू. 2. मार्ग के तीनो तरफ वृक्षारोपण 6880599/- रू. 3. एन.पी.वी - 125200/-

	स्वीकृति की अनुपालना आख्या(जिसमे जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एनपीवी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया है।)	
14.	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारिख को संबंधित क्षैत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
15	राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
16	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें।तथा प्रकरण मे जारी स्वीकृति को युजर एंजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जी हाँ, उक्त प्रकरण मे जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी मे प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी जो कि दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रों मे प्रकाशित करवा दी गई है । समाचार पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दूवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- 1. जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति।
2. वचन बद्धता प्रमाण पत्र।
3. समाचार पत्र की प्रति।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(नन्दलाल प्रजापत)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

क्रमांक एफ ( )एफसीए/उवसं/2019-20/ 0135 दिनांक: 10-6-19

प्रतिलिपि :- अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड अकलेरा को उनके पत्रांक 110 दिनांक 28.05.2019 के कम मे सूचनार्थ प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)

उप वन संरक्षक
झालावाड़

९८

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक : 107

उप वन संरक्षक
झालावाड़

दिनांक : 28.5.19

विषयः— Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajssthan.

संदर्भः— प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7759/2014 श्रीमान् सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक के पत्र कमांक प. 1 (51)वन /2015 दिनांक 18.03.2015 के कम में

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड़ एन.एच. 12 किमी. 358/500 से नयागांव भानपुरा अण्डर आर.आर.एस.एम.पी. फेज द्वितीय जिला झालावाड़ में 0.2 हैक्ट हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है:—

कमांक	बिन्दुवार शर्तो का विवरण	पलना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हॉ जी, कोई परिवर्तन नही होगा । अण्डर टेकिंग सलंग्न है।
2.	प्रयावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।	हॉ जी, प्रयावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा। अण्डर टेकिंग सलंग्न है।
3.	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेडो की संख्या से अधिक पेडो का पातन नहीं किया जावेगा।	हॉ जी, प्रस्तावित पेडो की संख्या से अधिक पेडो का पातन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग सलंग्न है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एंव रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षजि नही पहुचाई जावेगी उंव उनके संरखक हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	हॉ जी, परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पसियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नही पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे । अण्डर टेंकिग सलंग्न है।
5.	प्रयावर्तित क्षेत्र में रोपित पेडों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावें। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	हॉ जी, प्रयावर्तित क्षेत्र में रोपित पेडों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावेंगा । उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होगे। अण्डर टेंकिग सलंग्न है।
6.	प्रयावर्तित क्षेत्र के आस–पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेवी एंव इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर की होगी।	हॉ जी, प्रयावर्तित क्षेत्रके आस पास में वनस्पति /वन्य जीवन संरक्षक की क्षति हानि पर यूजर ऐजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर ऐजेन्सी की रहेगी । अण्डर टेकिंग सलंग्न है।
7.	प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	हॉ जी, पातन किये जाने वाले पेडो की राश प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है। अण्डर टेंकिग सलंग्न है।

29-5-19

8.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो और रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथासंश) जमा की जावेगी।	हॉ जी, आवश्यक धनराशि जमा करा दी गयी है। अण्डर टेकिंग सलंग्न है।
9.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारामाननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	हॉ जी, राशि रू. 125200/-रूपयें जमा करवा दी गयी है।
10.	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajsthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम)ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्पलैक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 मे जमा कराया जायेगा।	हॉ जी, राशि रू. 7988695/-रूपयें जमा करवा दी गयी है। जिसमें सी.ए. की राशि रू. 902936 रूपये सम्मलित है।
11.	प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	हॉ जी, वचनबद्वता का प्रमाण पत्र सलंग्न कर दिया गया है।
12.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एंव प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	सड़क निर्माण में निकलने वाले मक उपयोग सड़क निर्माण की फिलिंग में किया जायेगा । वन क्षेत्र में निस्तारण नही किया जायेगा । तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में सड़क निर्माण में बहार से मिट्टी लाकर फिलिंग की जावेगी । जिससे मक निस्तारण की शून्य होगी । इस सन्दर्भ में प्रमाण पत्र सलंग्न कर दिया है।
13.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम)ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्पलैक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 मे जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्रफट/ चैक की छायाप्रति सहित सैंद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	अभिकरण द्वारा धन राशि 7988695/- रूपये जरिये चालान से जमा करा दी गयी है। छायाप्रति सलंग्न है। कुल 7988695 जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षो का रोपण एवं रखरखाव :- 982936/- 2. मार्ग के तीनों तक वृक्षारोपण:- 6880559/- 3. एन.पी.वी. -125200/-
14.	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबधित क्षैत्रिय कार्यालय को मासिक प्रगति रिर्पोट प्रेषित करे।	उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।

15.	राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।
16.	भारत सरकार के पत्रांक 7–23 / 2012 / एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एंव अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एंव जारी स्वीकृतियों की प्रतिया लोकल बॉडीज पंचायत एंव नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एंव बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि / क्षेत्र का हस्तान्तारण की कार्यवाही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व नहीं की जाएगी।	हॉ जी, उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर ऐजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी । जो कि दिनांक 25.12.2018 को करवा दी गयी है। समाचार पत्र की छाया प्रति सलंग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलंग्न :– 1. जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति

2. वचन बद्वता प्रमाण पत्र

3. मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र

(एल.सी. नागडी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

क्रमांकः दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित / प्रस्तुत है।

1. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि.वृत झालावाड
3. श्रीमान् सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनोहरथाना

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tel Fax No-07432-232230 Email dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ( ) विकास/2019–20/11843 दिनांक 6-8-19
निमित्त :–

श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff)
अरण्य भवन, जयपुर

विषय :– Construction of road from NH-12 Km- 358/500 to Nayagoan Bhanpur under RRSMP (Phase – II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP/RJ/ROAD/7759/2014) के भुगतान जमा कराने के संबंध मे।

प्रसंग :– श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 14 ( )2014/झालावाड रोड/एफ.सी. ए/प्रमुवसं/2761–62 दिनांक 24.07.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं आपके प्रासंगिक पत्र के संदर्भ मे निवेदन है कि अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड, अकलेरा ने अपने पत्रांक 302 दिनांक 02.08.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत करवाया है उक्त तीनो सडको की राशि टी.वी वाउचर संख्या 17865 दिनांक 27.06.2019 को केम्पा फंड के खाता संख्या 1508561135992381 जो कि मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान का है उसमे जमा हो गई है जिसके याम बिल, टी.वी वाउचर व चालान की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

जमा करवायी गयी राशि का विवरण इस प्रकार है।

क्र स	प्रपोजल संख्या व सडक का नाम	राशि	जमा करवायी गयी राशि का खाता संख्या	खाता जिसमे जमा करवाना था
1.	FP/RJ/ROAD/7759/2014 एनएच 12 किमी 358/500 से नयांगांव भानपुरा	499058.00	1508561135992381 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान	1508561775900992

अतः श्रीमान से निवेदन है कि एनएच 12 किमी 358/500 से नयांगांव भानपुरा सड़क की राशि जो कि खाता संख्या 1508561135992381 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान मे जमा हो गई है उसको इस सडक के खाता संख्या 1508561775900992 मे स्थानान्तरित करवाने का श्रम करे।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(नन्दलाल प्रजापत)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

क्रमांक एफ ( ) विकास/2019–20/ दिनांक
प्रतिलिपि अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड, अकलेरा को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा नि वि खण्ड अकलेरा

क्रमांक 302 दिनांक 2/08/20

श्रीमान उपवन संरक्षक
झालावाड

विषय: — बिलो के भुगतान जमा होने के क्रम में

1. Construction of road from Barodiya to Jalamani under RRSMP (Phase – II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / RJ/ ROAD / 7757 / 2014)
2. Construction of road from NH -12 TO Rojiya sanctioned under RRSMP (Phase – II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / RJ/ ROAD / 7595 / 2014)
3. Construction of road from NH - 12 Km. 358/500 to Nayagoan Bhanpur under RRSMP (Phase – II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / RJ/ ROAD / 7759 / 2014)

प्रसंग - श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 14 () 2014 / झालावाड रोड / एफ सी ए / प्रमुवस

1. 2503 – 04 दिनांक 11.07.2019
2. 2506 – 07 दिनांक 11.07.2019
3. 2761 – 62 दिनांक 24.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के सन्दर्भ मे निवेदन है कि उक्त तीनों सडको का भुगतान टी वी वाउचर्स संख्या 17864 (रोज्या सडक), टी वी वाउचर्स संख्या 17865 (नयागांव भानपुरा सडक) टी वी वाउचर्स संख्या 17866 (जटामरी सडक) से दिनांक 27.06.2019 को केम्पा फण्ड के खाता संख्या 15085611359923ं81 जो कि मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान का है भूलवश उसमे जमा हो गयी है जिसके बाम बिल, टी वी वाउचर, व चालान की प्रति पत्र के साथ संलग्न है

FCA
6/8/2019

जमा करवायी गयी राशि का विवरण इस प्रकार है

क्र.सं.	प्रपजल संख्या व सडक का नाम	राशि	जमा करवायी गयी राशि का खाता संख्या	खाता, जिसमे जमा करवाना था
1.	FP/ RJ / ROAD / 7757 / 2014 दडोदिया से जटामारी	1096947.00	150856113599281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान	150856177570372
2	FP/ RJ / ROAD / 7595 / 2014 एनएच 12 से रोज्या	628493.00	150856113599281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान	150856175950315
3	FP/ RJ / ROAD / 7759 / 2014 एनएच 12 किमी से 358 / 500 से नयागांव भानपुरा	499056.00	150856113599281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान	150856177590992

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त तीनो सडकों की राशि जो कि खाता संख्या 150856113599281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान में जमा हो गयी है उसको उक्त सडकों के खाता में स्थानान्तरित करवाने का श्रम करे।

भवदीय

अधिशाषी अभियन्ता
सा नि वि खण्ड अकलेरा

संलग्न: — ग्राम बिल,टीवी
वाउचर व चालान की प्रतियां

क्रमांक — दिनांक

प्रतिलिपि श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान जयपुर
प्रतिलिपि श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक कोटा
प्रतिलिपि श्रीमान अधिक्षक अभियंता सा नि वि वृत्त झालावाड

अधिशाषी अभियन्ता
सा नि वि खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

क्रमांकः– 321

दिनांक :– 7/8/2019

श्रीमान् उपवन संरक्षक
झालावाड़ जिला झालवाड़ राज0

विषयः– **Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajssthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)**

संदर्भः– श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक एफ 14 ( )2014/झालावाड रोडस/एफसीए/प्रमुवसं/24.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त बिन्दुवार पालना रिपोर्ट में पायी गयी कमियो की पूर्तिकर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायी जा रही है।

क0स0	बिन्दुवार पायी गयी कमिया	बिन्दुवार कमिया की पूर्ति
1	प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.03.2015 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। जिसकी पालना 4 वर्षो के उपरांत भिजवाई गई है। प्रस्ताव में पालना देरी से भिजवाये जाने का कारण एवं वन विभाग संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उल्लघंन नही होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 03.03.2015 को जारी की गई थी। परन्तु विभाग द्वारा पालना, रिपोर्ट एवं राशि विभाग को देरी से प्राप्त हुई थी जिसको की देरी से जमा करवायी गयी इससे विलम्ब हुआ। No violation Certificate संलग्न।
2	उप वन संरक्षक द्वारा राशि रू. 7988735/–जमा होना अवगत कराया गया है। जबकि ऑनलाईन परीक्षण किये जाने पर राशि रू. 7489639/– जमा की गई । अतः बकाया राशि रू. 499096/– का मिलान नही हुआ है जो प्रस्तावित है।	बकाया राशि 499096/– रू टीवी वाउचर संख्या 17865 से दिनांक 27.06.2019 को केम्पा फण्ड के खाता सं0 1508531135992381 जो कि मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान के खाते में भुलवंश जमा हो गई है। जिसको स्थानान्तरित करने हेतु श्रीमान् मुख्य वनसंरक्षक जयपुर को निवेदन किया हुआ है।
3	उप वन संरक्षक द्वारा लिखा गया है कि कोई मलबा सृजित नही होगा फिर भी मक डिस्पोजल योजना को प्रेषित करने की वचनबद्वता संलग्न क्यो की गईहै।	मक डिस्पोजल योजना संलग्न है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(एल.सी.बागडी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 14( )2014 / झालावाड़ रोड्स / एफसीए / प्रमुवसं / दिनांकः

मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषयः—Construction of NH-12 Km 358/500 to Nayagaun Bhanpura under RRSMP (Phase-II) in Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759 /2014

संदर्भः—आपका पत्रांक 3919 दिनांक 20.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त बिन्दुवार पालना रिपोर्ट का अवलोकन करने पर इसमें निम्नानुसार कमियां पायी गयी है:-

1. प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.03.2015 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। जिसकी पालना 4 वर्षों के उपरांत भिजवायी गई है। प्रस्ताव में पालना देरी से भिजवाये जाने का कारण एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
2. उप वन संरक्षक द्वारा निम्नानुसार राशि जमा होना अवगत कराया है:-

1. 100 वृक्षों का वृक्षारोपण	—	982936.00
2. दोनों ओर का वृक्षारोपण	—	6880599.00
3. एन.पी.वी.	—	125200.00
		7988735 /-

जबकि ऑनलाईन राशि जमा होने का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार राशि जमा की गई है:-

दिनांक 26.04.2017	—	7102000 /-
दिनांक 01.11.2018	—	387639 /-
		7489639 /-

अतः बकाया 499096.00 राशि का मिलान नही हुआ है जो प्रस्तावित हैं।

3. उप वन संरक्षक द्वारा लिखा गया है कि कोई मलबा सृजित नही होगा फिर भी मक डिस्पोजल योजना को प्रेषित करने की वचनबद्धता संलग्न क्यों की गई हैं।

अतः उक्तानुसार बिन्दुओं की पालना उप वन संरक्षक, झालावाड एवं संबंधित यूजर एजेन्सी से करवाकर शीघ्र इस कार्यालय को भिजवाये, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय,

(राजेश कुमार जैन)
मुख्य वन संरक्षक
(प्रोटेक्शन), अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांकः एफ 14( )2014 / झालावाड़ रोड्स / एफसीए / प्रमुवसं / 2761-62 दिनांकः 24.7.19

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. उप वन संरक्षक, झालावाड़।
2. अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-अकलेरा।

(गणेश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

E/: Office documents /a

— ०२६/१९

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tel Fax No-07432-232230 Email Id-dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ( ) विकास/2019–20/11883 दिनांक 6-8-19
निमित्त :-

✓श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff)
अरण्य भवन, जयपुर

विषय :– Construction of road from NH-12 Km- 358/500 to Nayagoan Bhanpur under RRSMP (Phase – II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP/RJ/ROAD/7759/2014) के भुगतान जमा कराने के संबंध में।

प्रसंग :– श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 14 ( )2014/झालावाड़ रोड/एफ.सी. ए./प्रमुवस/2761–62 दिनांक 24.07.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं आपके प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड, अकलेरा ने अपने पत्रांक 302 दिनांक 02.08.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत करवाया है उक्त तीनों [illegible] वाउचर संख्या 17865 दिनांक 27.06.2019 को केम्पा फंड के खाता संख्या 150856113[illegible] [illegible] मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान का है उसमें जमा हो गई है जिसके बाद बिल, टी.वी. वाउचर [illegible] की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

जमा करवायी गयी राशि का विवरण इस प्रकार है।

क्र. स.	प्रपोजल संख्या व सडक का नाम	राशि	जमा करवायी गयी राशि का खाता संख्या	खाता जिसमें जमा करवाना था
1	FP/RJ/ROAD/7759/2014 एनएच 12 किमी 358/500 से नयागांव भानपुरा	499056.00	1508561135992381 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान	150856177590992

अतः श्रीमान से निवेदन है कि एनएच 12 किमी 358/500 से नयागांव भानपुरा सडक की राशि जो कि खाता संख्या 1508561135992381 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान में जमा हो गई है उसको इस सडक के खाता संख्या 150856177590992 में स्थानान्तरित करवाने का श्रम करें।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(नन्दलाल प्रजापत)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

क्रमांक एफ ( ) विकास/2019–20/ दिनांक
प्रतिलिपि अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड, अकलेरा को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

[illegible] 14( )2014 झालावाड रोड्स / एफसीए / प्रमुवस /

[illegible]

दिनांक

विषय: Construction of NH-12 Km 358/500 to Nayagaun Bhanpura under RRSMP (Phase-II) in Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759 2014

संदर्भ: आपका पत्रांक 3919 दिनांक 20.06.2019

[illegible]

[illegible] विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त बिन्दुवार पालना रिपोर्ट का [illegible] चाही गयी है [illegible] दिनांक [illegible].2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। [illegible] भिजवायी गई है। प्रस्ताव में पालना देरी से भिजवाये जाने [illegible] अधिनियम 1980 के अंतर्गत उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण-पत्र [illegible] निम्नानुसार राशि जमा होना अवगत कराया है:-

[illegible] 982936.00
[illegible] [illegible]20590.00
[illegible] 125200.00
[illegible] 7988735/-

[illegible] जमा राशि का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार राशि [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] राशि का मिलान नहीं हुआ है जो प्रस्तावित है। [illegible] सृजित नहीं होगा फिर भी [illegible] की आवश्यकता संलग्न वसो की गई है। [illegible] बिन्दुओं की पालना उप वन संरक्षक झालावाड एवं संबंधित [illegible] भिजवाये, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा [illegible]

भवदीय

(राजेश कुमार जैन)
मुख्य वन संरक्षक
(प्रोटेक्शन), अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ 14( )2014 / झालावाड रोड्स / एफसीए / प्रमुवस / 27 61-62 दिनांक: 24.7.19
प्रतिलिपि- निम्नांकित को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, झालावाड।
2. अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-अकलेरा।

(गणेश कुमार वर्मा)
[illegible] वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

E/: Office documents /a

Reference No :24366924

Government Of Rajasthan
WAM inner/outer sheet

Detailed Wam bill of EX eng pwd Div-Aklera(15294)
Bill For Works Payment WAM Payment

Division Name	EX EN PWD AKLERA	Reference No	1752875			Month/Year	May/2019
Date	24/05/2019	Division Code	103	Wam Reference No	#1/1 of 10	OfficeID	15294
TAN	JDHE00424E	Demand No	21	Bill No	10072		
SF	499056.00	Object Head	21	DDOCode	15294		
		NonPlan	0.00	Budget Head	3054-04-800-02-01/SF/V		
				NA	0.00		

To.
The Treasury/Sub Treasury Officer AKLERA
Please Order to pay ₹ 499056 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk   Sign of DA   Sign

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limits of funds allotted budget/LC

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा

Sign Of DDO with Seal/e-Sign/Digital Sign of DDO

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

Sr No	Name Address Mobile	Bank Name Account No IFSC Code Branch Name	Invoice No Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt		Budget Head Deduction Amt
1	CORPORATION BANK LODHI COMPLEX BRANCH BLOCK 11 CGOCOMPLEX PHASE1 LODHI ROAD NEW DELHI 110003 9460522074	CORPORATION BANK 150856113599281 CORP0000371 Lodhi Road, New Delhi	1/1/1900 12:00:00 AM	499056.00 499056.00	1752875 ,	

Gross Amount Rs. 499056.00

Amount In Words : FOUR LAKH NINETY NINE THOUSAND AND FIFTY SIX Only   B.T.Amount: Rs.

Net Amount Rs. 499056.00

For Accountant General Office

Admitted ₹
Objected ₹

Sign of DDO with Seal/e-Sign/Digital Sign of DDO

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

Treasury Voucher

No: Date :

Pay ₹	499056.00
(In Words)	FOUR LAKH NINETY NINE THOUSAND AND FIFTY SIX ONLY
B.T. Heads	
Head	Amount
Total (In Cash) ₹	499056.00
(In Words)	FOUR LAKH NINETY NINE THOUSAND AND FIFTY SIX ONLY

Auditor   Supdt   Gaz Officer

Auditor   AAO-I/II   Treasury/Sub Treasury Officer

Disclaimer All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/ she is solely responsible for it.
S/W Courtsey National informatics centre, Rajasthan State Unit (http://paymanager.raj.nic.in)   Group Name 3054 VR

Forward Time 24/05/2019 12:34 PM
Print Date & Time 24/05/2019 12:33 PM

NH-12 से नयागांव मोलपुर

Form RPWA 28

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Public Works Department, Jaipur

Bill No. & Date:

BillRef No.: **10072**, Dated: **24/05/2019**

Reference No.:

Division Name: **EX.eng pwd Div-Aklera**, Division Code: **15294**

Sub Division Code:

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF & A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: **NH-12 km 358/500 to Nayagoan**

Vendor Name: **CORPORATION BANK**

Budget Head: **3054-04-800-02-01-21-V-P**

Reason:

Sanction/Autorization/BillNo: Dated:

Bank Details: AccountNo.- **150856113599281**, IFSC Code: **CORP0000371**

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: **4,99,056** (In Words):Rupees Four Lakh Ninety Nine Thousand Fifty Six Only

Deductions/Recoveries:

SNo.	Head Code	Head Detail	Amount

Net Amount Payable In Figures: **4,99,056** (In Words):Rupees Four Lakh Ninety Nine Thousand Fifty Six Only

Received from ......sum of Rs......(Rupees......) on account of (Work Name).../purpose

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

Signature of DA with seal

For use in Divisional Office

Signature of DO with seal

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

Courtesy: http://wam.raj.nic.in (Printed on 5/24/2019 12:34:53 PM)

MH12 ... (handwritten)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-05-2019

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6177590992
MoEF/SG File No.	1(46)FOREST/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	PWD Div. AkleraJhalawar
Amount(in Rs)	499056/-

Amount in Words :Four Lakh Ninety-Nine Thousand and Fifty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856177590992 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-05-2019

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6177590992
MoEF/SG File No.	1(46)FOREST/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	PWD Div. Aklera Jhalawar
Amount(in Rs)	499056/-

Amount in Words :Four Lakh Ninety-Nine Thousand and Fifty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856177590992 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print Back

अधिशासी ... (signature)

सा० नि० वि० ...

डी० डी० ओ० ...

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

क्रमांक :-

दिनांक :-

वन विभाग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक : प. 1(46) वन/2015 जयपुर दिनांक 03.03.2015

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)

राजस्थान जयपुर।

विषय :- Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajsthan

संदर्भ :- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7759/2014

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पत्र संख्या एफ. नं. 11-9/98- एफसी दिनांक 03.01.2005, 13.02.2014 व भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 736 दिनांक 10.09.2014 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत् जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajsthan. में 0.2 हेक्टेयर हेतु वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
3. प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जाएगा।
4. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जाएंगे।
5. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में चिह्नित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जाए। उक्त क्षेत्र में पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।
6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेंसी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर की होगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा न्यून से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्ष तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जाएगी।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर पर्याप्त वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंभव) जमा की जाएगी।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।
10. उपरोक्त अनुच्छेदों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां क्षतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajsthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जाएगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक डिमार्केशन योजना वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यालय को प्रेषित की जाएगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधियां क्षतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गई राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तत्पश्चात ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
14. नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।
15. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जाए तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरश: प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल ग्रामीण पंचायत एवं नगरपालिका के सम्बन्धित अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जाएगी। प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि/क्षेत्र का हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व नहीं की जाएगी।

भवदीय,

(बी.एस. राठौड़)

शासन सचिव-वन

DIPR/C/2440/2019

... बनते गढ़

[illegible]

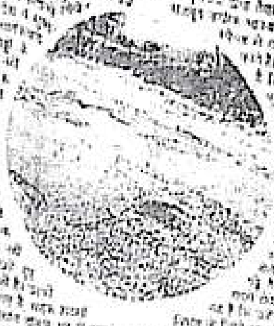

[illegible]

(राजस्थान सरकार)

क्रमांक प / / / /

विज्ञप्ति

दिनांक

[illegible]

नि-सूची

आज्ञा से

जितेन्द्र [illegible]

उप सचिव एवं [illegible]

[illegible]

धारा 11 के भूमि का विवरण [illegible]

[illegible]

अधिशाषी अभियंता

जल संसाधन खण्ड,

सवाई माधोपुर

/14111/2018

कार्यालय अधिशाषी अभियंता रा. नि. वि. खण्ड [illegible]

क्रमांक :- दिनांक :-

वन विभाग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें

क्रमांक प [illegible]/2015 जयपुर दिनांक [illegible]2015

विषय :- Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoan Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan.

संदर्भ :- [illegible] FP/RJ/ROAD/[illegible]/2014

[illegible] Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoan Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan, में 6.2 हेक्टर हेतु [illegible] की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:-

[illegible] CAF Rajasthan SBO1025383 [illegible]

[illegible]

जी.आई.पी.आर./सी./14111/2018

File No.1-29/2015-CAMPA
Government of India
Ministry of Environment Forests & Climate Change
National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
Email: adhoc-campa-mef@nic.in
******

Block No.3, 4th Floor
Hall No.1, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi-110003
Dated: 01st June, 2023

To,

The Assistant General Manager
Union Bank of India
FCS Bangalore Branch
Bangalore-560027

Sub: - वन संरक्षण अधिनियन के प्रत्यावर्तन प्रकरणों मे की गयी भुगतन राशि को पुनर्स्थापित कराने बाबत

(i) Diversion of 0.994 ha of Forest land for construction of road from Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan, District Jhalawar. (Proposal No.RJ/Road/7757/2014)

(ii) Diversion of 0.950 ha of forest land for construction of Road from NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/Road/7795/2014)

(iii) Diversion of 0.200 ha of Forest land in construction of road from NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No.FP/RJ/Road/7759/2014)

Sir,

Please refer to the letter No.4968 of APCCF & Nodal Officer (FCA) on the subject mentioned above and it is to inform that user agency has erroneously deposited the remittances of Rs.10,96,947.00, 6,28,493.00 and 4,99,056.00 through challan No.150856113599281 on 27.09.2019. The Union Bank of India, CGO Complex, New Delhi- 110003 has confirmed the remittance in the "CAF- Rajasthan" account. Therefore, it is requested that the kindly updated the remittances on correct proposal/remitter No. as per the details mentioned in the table: -

S.No.	Proposal No./Diversion Area	Amount With date	UTR No.	Challan No. from which the amount has wrongly paid	Remitter No. (on which the amount has to be shown)
1.	Proposal No. RJ/Road/7757/2014 & 0.994 ha.	10,96,947.00 Dated 27.06.2019	RBI17819488897743	150856113599281	6177570372
2.	FP/RJ/Road/7795/2014 & 0.950 ha.	6,28,493.00 Dated 27.06.2019	RBI17819488897732		6175950315
3.	FP/RJ/Road/7759/2014 & 0.200 ha.	4,99,056.00 Dated 27.06.2019	RBI17819488897730		6177590992

Encl: as above

Yours faithfully,

(Sanjay Kumar Chauhan)
Assistant Inspector General of Forests
National Authority

Copy to: -

1. The Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), O/o Principal Chief Conservator of Forests, Government of Rajasthan, Aranya Bhawan, Jhalana industrial Area, Jaipur-302004